राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2002/2021

विष्णु दत्त —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंता विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (ग्रामीण), लोक स्वास्थ्य एवं अभियंता विभाग, जयपुर।
3. अधिशाषी अभियंता लोक स्वास्थ्य एवं अभियंता विभाग, अलवर संभाग।
4. सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंता विभाग, अलवर संभाग।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.06.2021
आदेश की दिनांक : 03.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंगोदिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : अनुपस्थित

समक्षः– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी ने कई अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दो वर्ष की सेवा पूरी होने पर हेल्पर के पद पर उसे अर्ध स्थायी घोषित करने के लिए उसे इसके परिणामस्वरूप मिलने वाले लाभ प्रदान करने की प्रार्थना प्रत्यर्थी विभाग से की, लेकिन इसके बावजूद अपीलार्थी को उसके द्वारा दावा किए गए लाभ नहीं दिए गए। अतः अपीलार्थी ने दिनांक 07.12.2020 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और दो वर्ष की सेवा पूरी होने पर हेल्पर के पद पर अर्ध स्थायी का लाभ देने का अनुरोध किया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी के पास आठवीं पास की योग्यता है। अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 14.06.1987 को प्रत्यर्थी विभाग के अधीन बेलदार के पद पर हुई थी। दिनांक 12.05.1992 को प्रत्यर्थी संख्या 3 ने एक आदेश जारी किया जिसके तहत नियम 1964 के तहत अपीलार्थी को अर्ध–स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया गया और वेतनमान का लाभ भी दिया गया। अपीलार्थी का नाम उक्त आदेश में क्रमांक 43 पर है। (अनुलग्नक–2) प्रत्यर्थी संख्या 3 ने दिनांक 28.5.1992 को अपीलार्थी को बेलदार के पद पर वापस भेजने का आदेश जारी किया। यह आदेश अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना पारित किया गया। आदेश में यह कारण अंकित किया है कि सहायक के पद स्वीकृत नहीं हैं, अतः क्रम संख्या 41 से 43 तक के ऐसे व्यक्तियों को वापस (Revert) भेजा गया है। (अनुलग्नक–3) का निवेदन है कि क्रम संख्या 37, 38 और 39 में नामित व्यक्ति अपीलार्थी से कम योग्य हैं। प्रत्यर्थी विभाग के लिए अपीलार्थी को वापस भेजने का कोई औचित्य नहीं था, जो दूसरों की तुलना में अधिक योग्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पद स्वीकृत है या नहीं।

राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 19.8.1980 को एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है, कि यह पाया गया है कि स्थायी दर्जा तथा अर्द्ध स्थायी दर्जा घोषित करने के मामले में विभाग द्वारा एक समान नीति नहीं अपनाई जा रही है, तथा इसलिए यह अपेक्षित था कि सभी विभाग कार्यभारित कर्मचारियों को 2 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अर्ध स्थायी दर्जा तथा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर स्थायी दर्जा घोषित करें। माननीय न्यायालय ने कई निर्णयों में इसी तरह के विवादों का निपटारा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे उन कर्मचारियों को 2 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अर्ध स्थायी दर्जा प्रदान करें और 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर स्थायी दर्जा प्रदान करें। इसके अलावा, इसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि उन्हें अर्ध स्थायी दर्जा प्राप्त करने के लिए जिस तिथि से वह हकदार थे, उसी तिथि से सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जाएं। इला चंद्र शर्मा अन्य बनाम राजस्थान राज्य मामले में, माननीय न्यायालय के किसी आदेश की प्रतीक्षा किए बिना सभी परिणामी लाभों के साथ उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से अर्ध स्थायी स्थिति और स्थायी स्थिति प्रदान करने के लिए सामान्य निर्देश पारित किए गए हैं। इस प्रकार, अपीलार्थी को अर्ध स्थायी स्थिति और स्थायी स्थिति की घोषणा के परिणामस्वरूप परिणामी लाभ प्रदान न करने का कार्य प्रत्यर्थी विभाग द्वारा न्यायालय की अवमानना के बराबर है। अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 14.06.1987 को हुई थी तथा दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उसे हेल्पर के पद पर अर्ध स्थाई का दर्जा दिया जाना चाहिए था, लेकिन अपीलार्थी को दिनांक 12.05.1992 के आदेश के तहत हेल्पर के पद का लाभ दिया गया था, लेकिन उक्त आदेश को दिनांक 28.05.1992 के आदेश के तहत वापस ले लिया गया तथा बेलदार के पद का लाभ देने का निर्देश दिया गया तथा हेल्पर के पद के वेतनमान 775–1025 के स्थान पर बेलदार के पद का वेतनमान 750–940 रुपये देने का निर्देश दिया गया। श्याम लाल शर्मा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में निर्णय दिनांक 01.10. 1993 (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5853/1993) में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी विभाग को दो वर्ष की सेवा पूरी होने पर हेल्पर के पद पर अर्ध स्थायी का लाभ देने का निर्देश दिया। (अनुलग्नक–4) दिनांक 20.09.1995 के आदेश के अनुसार अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति, जो वर्ष 1998 में नियुक्त हुआ था तथा जिसकी योग्यता 8वीं पास है, को हेल्पर के पद पर अर्धस्थायी पद का लाभ दिया गया है, जबकि अपीलार्थी को यह लाभ नहीं दिया गया है। (अनुलग्नक–5) ओमप्रकाश गुप्ता के मामले में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 836/1994 का निर्णय दिनांक 28.02.1994 को हुआ, जिसमें हेल्पर के पद पर दिनांक 01.07.1985 को नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर हेल्पर के पद पर अर्धस्थायी का लाभ प्रदान किया गया। (अनुलग्नक–6) दो वर्ष की सेवा पूरी होने पर हेल्पर के पद पर अर्धस्थायी का लाभ न देने का प्रत्यर्थी विभाग का कदम न केवल मनमाना है, बल्कि वर्कचार्ज सेवा नियम 1964 तथा राजस्थान इंजीनियरिंग अधीनस्थ सेवा नियमों के भी विरुद्ध है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की कार्रवाई जिसके तहत अपीलार्थी को दो वर्ष की सेवा पूरी होने पर हेल्पर के पद पर अर्ध–स्थायी का लाभ दिया गया है, को अवैध और मनमाना घोषित किया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जावे कि अपीलार्थी को प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की सेवा पूरी होने पर हेल्पर के पद पर अर्ध–स्थायी घोषित किया जावे एवं सभी परिणामी लाभ भी प्रदान किए जावे। या विकल्प में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07.12.2020 को प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर विचार किया जाकर इसे निर्णित किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही नियम सम्मत तरीके से सम्पादित की गई है जिसमें कोई अवैधता नही रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में यह मत प्रतिपादित किया है कि आदेशों के नियमों के उल्लंघन अथवा दुर्भावना के आधार पर ही चुनौती दी जा सकती है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने से पूर्व संबंधित प्राधिकारी को राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों में अपीलीय अधिकरण) अधिनियम 1976 की धारा 4 (अ) के अंतर्गत अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहिए था एवं उक्त अभ्यावेदन के निस्तारण के उपरान्त ही माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी परन्तु अपीलार्थी ने उपरोक्त प्रावधानों की पालना किये बिना सीधे ही माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किये जाने योग्य है। अति. मुख्य अभियन्ता (मु.) जन.स्वा.अभि. विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक 77349 दिनांक 22.02.1992 के द्वारा नगरीय जल योजना अलवर पर कार्यरत दैनिक वेतन भौगी श्रमिकों को कार्य जारी संवर्ग में अर्द्धस्थाई धोषित कर वेतन श्रृंखला का लाभ दिये जाने हेतु वर्षवार सहायक/बेलदार के पद सृजित किये गये थे। वित्तीय वर्ष 1990–91 में सहायक के 43 पद स्वीकृत हुये थे। जो कि कम संख्या में स्वीकृत होने पर अधिशाषी अभियन्ता जन. स्वा. अभि. विभाग खण्ड अलवर के आदेश क्रमांक 4195–4221 दिं0 28.05.1992 के द्वारा अपीलार्थी एवं अपीलार्थी से वरिष्ठ कार्मिक जुम्मा खां एवं बृज मोहन को दिनांक 01.04.1990 से कार्य प्रभारी संवर्ग में सहायक के पद के अभाव में बेलदार के पद पर अर्द्धस्थाई घोषित कर वेतन श्रृंखला (750–12–798–13– 850–940) में लाभ दिया गया है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.02.2003 की अनुपालना में अधिशाषी अभियन्ता खण्ड अलवर के आदेश क्रमांक 8005–8176 दिनांक 06.02.2004 के द्वारा अपीलार्थी की दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में नियुक्ति तिथि 14.06.1987 से 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि 14.06.1989 से कार्य प्रभारी संवर्ग में अर्द्धस्थाई घोषित कर उक्त तिथि से सेवा की गणना की जाकर चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है। वित्त विभाग जयपुर की आई.डी.स. 2195/वित्त/नियम/08/दिं० 09.09.2008 द्वारा शर्तानुसार दिनांक 01.

01.1995 तक नियुक्त योग्यताधारी कार्य प्रभारी बेलदारो के लिए मुख्य अभियन्ता (ग्रा०) जन. स्वा. अभि. विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 06.10.2008 के द्वारा अलवर जिले में 160 बेलदारों के पदो के विरूद्ध शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारीयों के पदों को कार्य प्रभारी सहायक के पद पर कमौन्नति के आदेश जारी किये जाने की अनुपालना में अधिक्षण अभियन्ता वृत अलवर के कार्यालय आदेश कमांक 5297–5311 दिनांक 14.10.2008 के द्वारा अपीलार्थी को बेलदार से सहायक के पद पर दिनांक 01.01.1995 से कमौन्नत किया जाकर सहायक के पद की वेतन श्रृंखला का लाभ दिया गया है। विभाग द्वारा राज्य सरकार के नियमानुसार अपीलार्थी को 2 वर्ष पूर्ण करने की तिथि से अर्द्धस्थाई घोषित दिनांक से सेवा की गणना करते हुऐ चयनित वेतनमान का लाभ एवं दिनांक 01.01.1995 से सहायक के पद पर कमौन्नत कर वेतन श्रृंखला का लाभ दिया गया है। जो कि अपीलार्थी से वरिष्ठ कार्मिक भी प्राप्त कर रहे है। आलौच्य आदेश दिनांक 19.03.2021 किसी भी का स्थानान्तरण आदेश नही है। अतः उक्त आलौच्य आदेश का स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध से प्रभावित नहीं है यह कि शहरी जलयोजना मण्डावा व एवं शहरी जलयोजना बगड सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जिला उपखण्ड द्वितीय झुंझुनूं के अधीन आते है। राज्य सरकार द्वारा तकनीकी कार्मिकों सहायक अभियन्ता के अधीन लगाया जाता है न कि शहरी जलयोजना मण्डावा या बगड के अधीन। शहरी जलयोजना मण्डावा एवं बगड के तकनीकी कार्मिको को वेतन एवं अन्य भत्तो भुगतान सहायक अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग जिला उपखण्ड द्वितीय झुंझुनूं द्वारा ही किया जाता है तकनीकी कार्मिको की कमी को मध्यनजर रखते हुए जल योजनाओं से संचालन एवं संधारण को सुचारू बनाये रखने के लिए एक जलयोजना से दूसरी जलयोजना पर लगाया जाता है, अतः अपीलार्थी को शहरी जलयोजना बगड में पेयजल वितरण में आ रही समस्या के निवारण हेतु लगाया था। अति. मुख्य अभियन्ता (मु.) जन. स्वा. अभि. विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक 77349 दिनांक 22.02.1992 के द्वारा नगरीय जल योजना अलवर पर कार्यरत दैनिक वेतन भौगी श्रमिकों को कार्य जारी संवर्ग में अर्द्धस्थाई धोषित कर वेतन श्रृंखला का लाभ दिये जाने हेतु वर्षवार सहायक/बेलदार के पद सृजित किये गये थे। वित्तीय वर्ष 1990–91 में सहायक के 43 पद स्वीकृत हुये थे। जो कि कम संख्या में स्वीकृत होने पर अधिशाषी अभियन्ता जन. स्वा. अभि. विभाग खण्ड अलवर के आदेश कमांक 4195–4221 दिं० 28.05.1992 के द्वारा अपीलार्थी एवं अपीलार्थी से वरिष्ठ कार्मिक जुम्मा खां एवं बृज मोहन को दिनांक 01.04.1990 से कार्य प्रभारी संवर्ग में सहायक के पद के अभाव में बेलदार के पद पर अर्द्धस्थाई घोषित कर वेतन श्रृंखला (750–12–798–13–850–940) में लाभ दिया गया है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.02.2003 की अनुपालना में अधिशाषी अभियन्ता खण्ड अलवर के आदेश क्रमांक 8005–8176 दिनांक 06.02.2004 के द्वारा अपीलार्थी की दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में नियुक्ति तिथि 14.06.1987 से 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि 14.06.1989

से कार्य प्रभारी संवर्ग में अर्द्धस्थाई घोषित कर उक्त तिथि से सेवा की गणना की जाकर चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है। वित्त विभाग जयपुर की आई.डी.स. 2195धवित्त/नियम/08/दिं० 09.09.2008 द्वारा शर्तानुसार दिनांक 01.01.1995 तक नियुक्त योग्यताधारी कार्य प्रभारी बेलदारो के लिए मुख्य अभियन्ता (ग्रा०) जन. स्वा. अभि. विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 06.10.2008 के द्वारा अलवर जिले में 160 बेलदारों के पदो के विरूद्ध शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारीयों के पदों को कार्य प्रभारी सहायक के पद पर कमौन्नति के आदेश जारी किये जाने की अनुपालना में अधिक्षण अभियन्ता वृत अलवर के कार्यालय आदेश क्रमांक 5297–5311 दिनांक 14.10.2008 के द्वारा अपीलार्थी को बेलदार से सहायक के पद पर दिनांक 01.01.1995 से क्रमौन्नत किया जाकर सहायक के पद की वेतन श्रृंखला का लाभ दिया गया है। विभाग द्वारा राज्य सरकार के नियमानुसार अपीलार्थी को 2 वर्ष पूर्ण करने की तिथि से अर्द्धस्थाई घोषित दिनांक से सेवा की गणना करते हुऐ चयनित वेतनमान का लाभ एवं दिनांक 01.01.1995 से सहायक के पद पर कमौन्नत कर वेतन श्रृंखला का लाभ दिया गया है। जो कि अपीलार्थी से वरिष्ठ कार्मिक भी प्राप्त कर रहे है।राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की अनुपालना में ही अपीलार्थी को 2 वर्ष पूर्ण करने की तिथि से अर्द्धस्थाई एवं 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि से स्थाई घोषित किया गया है। विभाग द्वारा अपीलार्थी को अर्द्ध स्थाई/स्थाई घोषित किये जाने वंचित नही रखा गया है। अपीलार्थी को हैरान व परेशान करने के लिये तथा प्रत्यर्थी संख्या 4 को एडजस्ट करने के लिये कार्य व्यवस्था के नाम पर दुर्भावनापूर्ण आशय से आदेश जारी किया गया है। विभाग के द्वारा प्रशासनिक कारणो से अपीलार्थी को शहरी जल योजना मण्डावा से शहरी जल योजना में लगाया जाना कार्यालय विभाग की दैनिक प्रक्रिया का भाग है। अति. मुख्य अभियन्ता (मु.) जन. स्वा. अभि. विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक 77349 दिनांक 22.02.1992 के द्वारा नगरीय जल योजना अलवर पर कार्यरत दैनिक वेतन भौगी श्रमिकों को कार्य जारी संवर्ग में अर्द्धस्थाई धोषित कर वेतन श्रृंखला का लाभ दिये जाने हेतु वर्षवार सहायक/बेलदार के पद सृजित किये गये थे। वित्तीय वर्ष 1990–91 में सहायक के 43 पद स्वीकृत हुये थे। जो कि कम संख्या में स्वीकृत होने पर अधिशाषी अभियन्ता जन. स्वा. अभि. विभाग खण्ड अलवर के आदेश कमांक 4195–4221 दिं0 28.05.1992 के द्वारा अपीलार्थी एवं अपीलार्थी से वरिष्ठ कार्मिक जुम्मा खां एवं बृज मोहन को दिनांक 01.04.1990 से कार्य प्रभारी संवर्ग में सहायक के पद के अभाव में बेलदार के पद पर अर्द्धस्थाई घोषित कर वेतन श्रृंखला (750–12–798–13– 850–940) में लाभ दिया गया है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.02.2003 की अनुपालना में अधिशाषी अभियन्ता खण्ड अलवर के आदेश क्रमांक 8005–8176 दिनांक 06.02.2004 के द्वारा अपीलार्थी की दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में नियुक्ति तिथि 14.06.1987 से 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि 14.06.1989 से कार्य प्रभारी संवर्ग में अर्द्धस्थाई घोषित कर उक्त तिथि से सेवा की

गणना की जाकर चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है। वित्त विभाग जयपुर की आई.डी.स. 2195/वित्त/नियम/08/दिं० 09.09.2008 द्वारा शर्तानुसार दिनांक 01.01.1995 तक नियुक्त योग्यताधारी कार्य प्रभारी बेलदारो के लिए मुख्य अभियन्ता (ग्रा०) जन. स्वा. अभि. विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 06.10.2008 के द्वारा अलवर जिले में 160 बेलदारों के पदो के विरूद्ध शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारीयों के पदों को कार्य प्रभारी सहायक के पद पर कमौन्नति के आदेश जारी किये जाने की अनुपालना में अधिक्षण अभियन्ता वृत अलवर के कार्यालय आदेश क्रमांक 5297–5311 दिनांक 14.10.2008 के द्वारा अपीलार्थी को बेलदार से सहायक के पद पर दिनांक 01.01.1995 से कमौन्नत किया जाकर सहायक के पद की वेतन श्रृंखला का लाभ दिया गया है। विभाग द्वारा राज्य सरकार के नियमानुसार अपीलार्थी को 2 वर्ष पूर्ण करने की तिथि से अर्द्धस्थाई घोषित दिनांक से सेवा की गणना करते हुऐ चयनित वेतनमान का लाभ एवं दिनांक 01.01.1995 से सहायक के पद पर कमौन्नत कर वेतन श्रृंखला का लाभ दिया गया है। जो कि अपीलार्थी से वरिष्ठ कार्मिक भी प्राप्त कर रहे है। अतः अपील खारिज की जाने योग्य है।

हमने विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 12.05.1992 (अनुलग्नक–2) द्वारा अर्द्धस्थाई घोषित किया गया और उसे 775–13–740–15–1005–20–1025 की वेतन श्रृंखला में 775 रूपये पर वेतन नियतन किया गया है। इसमें प्रारंभिक नियुक्ति तिथी 14.06.1987 अंकित है। इसके पश्चात आदेश दिनांक 28.05.1992 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी को अन्य दो कार्मिकों के साथ स्वीकृत पदों के अभाव में सहायक के स्थान पर बेलदार के पद पर वेतन श्रृंखला 750–12–798–13–850–15–940 के वेतनमान में वेतन दिए जाने का आदेश जारी किया गया है। इसके आदेश में कनिष्ठतम कार्मिक क्र. स. 41 से 43 को स्वीकृत पदों के अभाव में सहायक द्वितीय से बेलदार के पद पर रखा गया। अपीलार्थी का निवेदन है कि अपीलार्थी के समकक्ष अन्य कार्मिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश (अनुलग्नक–4) की अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग ने कार्यप्रभारी सहायक एवं बेलदार के पद पर वेतन आदेश दिनांक 20.09.1995 (अनुलग्नक–5) द्वारा स्वीकृत किया गया, जबकि अपीलार्थी को उक्त वेतनमान स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। जारी विभागीय आदेश दिनांक 20.09.1995 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के बाद नियुक्त कार्मिकों को सहायक के पद पर अर्द्धस्थाई घोषित किया गया है।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार वर्ष 1991–92 में सहायक के 43 पद स्वीकृत किए गए थे। कम संख्या में पद स्वीकृत होने पर आदेश दिनांक 28.05.1992 द्वारा अपीलार्थी और दो अन्य कार्मिकों को कार्यप्रभारी संवर्ग में सहायक पद के

अभाव में बेलदार के पद पर अर्द्धस्थाई घोषित किया गया एवं वेतन श्रृंखला 750–798–850–940 का लाभ दिया गया था। प्रत्यर्थी विभाग का कथन है कि अलवर जिले में 160 बेलदारों के पदों के विरूद्ध शहरी/ग्रामीण क्षैत्र में कार्यरत कर्मचारियों के पदों को कार्यप्रभारी सहायक के पद पर क्रमौन्नति के आदेश जारी किए जाने की अनुपालना में आदेश दिनांक 14.10.2008 के द्वारा अपीलार्थी को बेलदार से सहायक के पद पर दिनांक 01.01.1995 से क्रमौन्नत किया जाकर सहायक के पद की वेतन श्रृंखला का लाभ दिया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को कार्यप्रभारी सहायक के पद पर आदेश दिनांक 12.05.1992 द्वारा अर्द्धस्थाई घोषित कर वेतन श्रृंखला 775–840–1005–1025 में रूपये 775/– का वेतन स्वीकृत किया गया। इसके पश्चात उसे प्रत्याहारित किया जाकर बेलदार के पद का अर्द्धस्थाई कर वेतनमान 750–798–850–940 में स्वीकृत किया गया है, जिसका आधार कार्यप्रभारी सहायक के कम पदों की स्वीकृति होना बताया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के जवाब के अनुसार वर्ष 1991–92 में सहायक के 43 पद स्वीकृत हुए थे। अपीलार्थी का अर्द्धस्थाईकरण आदेश 12.05.1992 में क्र.स. 43 पर नाम नियुक्ति की वरिष्ठता के अनुसार है। अतः कम पद स्वीकृत होने के आधार पर नाम हटाकर बेलदार के पद पर अर्द्धस्थाई करने का तर्क मानने योग्य नहीं है। क्योंकि नियुक्ति की वरिष्ठता में अपीलार्थी क्र. सं. 43 पर है एवं 43 पर स्वीकृत होना प्रत्यर्थी विभाग स्वीकार करता है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समान प्रकृति के प्रकरणों में कार्यप्रभारी सहायक के पद पर अर्द्धस्थायी घोषित करने हेतु पारित आदेश में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उन याचिकर्ताओं को कार्यप्रभारी सहायक के पद पर अर्द्धस्थायी घोषित कर उसका वेतनमान स्वीकृत किया गया है और इनमें से कई कर्मचारी अपीलार्थी से कनिष्ठ है। (अनुलग्नक–5) अतः हमारा यह विनम्र मत है कि अपीलार्थी भी कार्यप्रभारी सहायक की वेतन श्रृंखला में अर्द्धस्थाई घोषित होने एवं उसकी वेतन श्रृंखला प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर आलौच्य आदेश दिनांक 28.05.1982 अपास्त किया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अन्य समान कर्मचारियों के अनुरूप अपीलार्थी को भी उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 14.06.1987 से दो वर्ष की अवधि पूरी होने पर कार्यप्रभारी सहायक की वेतन श्रृंखला में अर्द्धस्थाई किया जावे एवं तत्पश्चात नियमानुसार स्थायी घोषित करने की कार्यवाही की जाकर उसे सेवा संबंधी समस्त पारिणामिक लाभ यथा चयनित वेतनमान पदोन्नति आदि प्रदान किए जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य